साँची विकास योजना

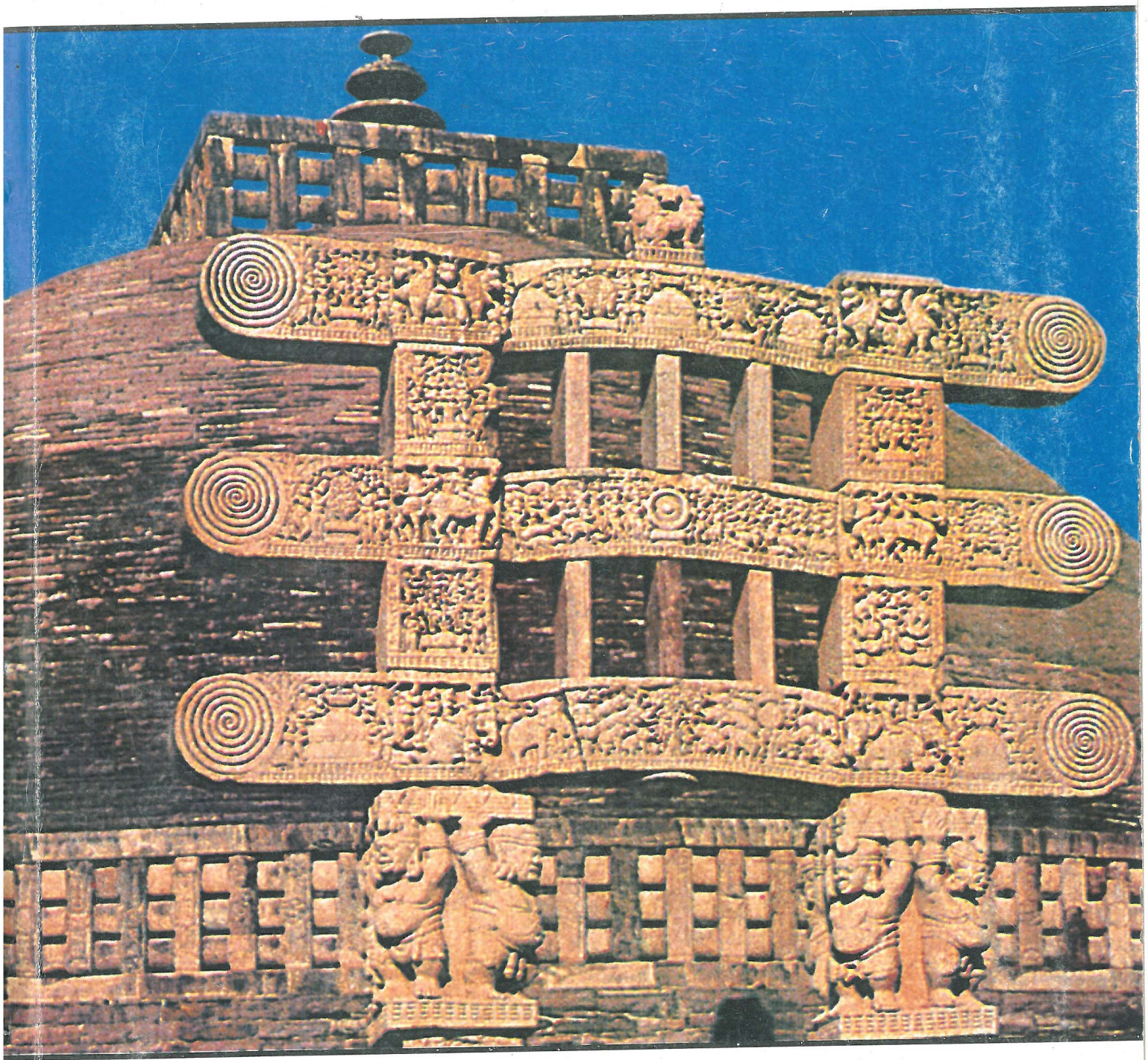

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

साँची विकास योजना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

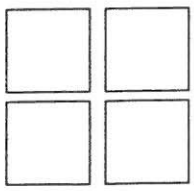

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

सांची विकास योजना (प्रारूप) का प्रकाशन म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के प्रावधान अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 1-11-1999 को किया गया। नागरिकों को प्रारूप योजना के प्रस्तावों को स्पष्ट करने के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा, कलेक्टर, रायसेन, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल एवं नगर पंचायत सांची के कार्यालयों में दिनांक 2-11-2000 से 30 दिन की कालावधि तक प्रदर्शित किया गया। प्रारूप योजना पर कुल 68 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए। जन सामान्य, संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त आपत्तियां/सुझावों की सुनवाई म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17 क (1) के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा की गई।

उपरोक्त पर संयोजक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समुचित विचारोपरांत तद्नुसार संशोधित विकास योजना राज्य शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई, जिसे राज्य शासन द्वारा म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना क्र. एफ 3-96-99-बत्तीस भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2000 जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 21 जुलाई 2000 में प्रकाशित हुई है, अनुमोदित की गई है।

इस प्रकार सांची विकास योजना उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 21 जुलाई, 2000 से प्रभावशील की गई है.

प्रस्तावना

बुद्ध धर्मावलम्बियों का आध्यात्मिक, धार्मिक एवं श्रद्धा का स्थल सांची, बेतवा नदी के बांये किनारे पर सबसे प्राचीन एवं अप्रतिम पुरातत्वीय ऐतिहासिक स्तूपों को अपने अंक में समेटे सुन्दर प्राकृतिक एवं ग्रामीण परिवेश में प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट दिल्ली-इटारसी मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है। सांची में 13 शताब्दियों तक का बौद्ध धर्म के उत्थान, पतन, शासन एवं प्रभाव का इतिहास निहित है। युगों से आक्रमण से बचकर यह स्थल गौरव के साथ मानव जाति को शांति और प्रशांति का संदेश अविरत रूप से प्रदान कर रहा है। सांची की वैभवशाली सांस्कृतिक परम्परा के कारण यहाँ बहुत से देशी-विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इस स्मारक के सांस्कृतिक धरोहरों में सम्मिलित किये जाने के कारण भी यह विश्व का एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र बन गया है।

यह स्थल मूलत: ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है अपितु सांची एवं संस्पर्शी ग्राम कानाखेड़ाकलां में कुछ नगरीय गतिविधियाँ परिलक्षित होती है। अत: इसे अर्द्धनगरीय क्षेत्र के रूप में वर्तमान में विचार किया जाकर पर्यटक-सह-अर्द्धनगरीय क्षेत्र के रूप में भावी विकास की अवधारणा विकास योजना में की जा रही है।

सांची हेतु विकास योजना बनाते समय इसकी संपन्न सांस्कृतिक परम्परा को बनाये रखने के साथ-साथ इसका सुव्यवस्थित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सम्मिश्रण कर रहवासियों तथा पर्यटकों की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रावधान किया जाना होगा। इस मनोभाव को ध्यान में रखकर सांची का धार्मिक तथा पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास प्रस्तावित है। विकास योजना के अंतर्गत नागरिकों एवं पर्यटकों हेतु पर्याप्त अधोसंरचना एवं सेवा-सुविधाओं के प्रस्ताव इस प्रकार से सृजित किये गये है ताकि इस स्थल की प्राचीन विशेषतायें एवं प्राकृतिक स्वरूप बना रहे।

उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु सांची विकास योजना, वर्ष 2011 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई है। इसमें दिये गये प्रस्ताव योजनाकाल के उपरांत भी सक्षम एवं सुचारू रूप से रह सकेंगे।

इस प्रारूप प्रस्ताव में मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानान्तर्गत राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित समिति से परिचर्चा कर स्वीकार्य मानकों के अनुरूप सुझावों का समावेश किया गया है।

सांची विकास योजना के प्रारूप को विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं एवं जनसामान्य द्वारा प्रदत्त सहयोग देने के फलस्वरूप मूर्त रूप दिया जा रहा है।

सांची प्रारूप विकास योजना, सर्व साधारण से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। हमें आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील सुझावों को व्यक्त करेंगे ताकि उनके सक्रिय योगदान से इसको अंतिम रूप देकर प्रभावशील करने में सफलता प्राप्त की जा सके।

(के.के. सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

सांची विकास योजना

योजना दल

डॉ. आर. व्ही शर्मा		अपर संचालक
डी. के. शर्मा		अपर संचालक
व्ही. पी. कुलश्रेष्ठ		संयुक्त संचालक
संगीता गर्ग		संयुक्त संचालक

सहायक संचालक

परमजीत कलसी		सुनीता सिंह

कर्मचारीगण

ए. के. मुखर्जी		यू. एस. तिवारी
जे. चन्द्रवंशी		लीलम्मा सी.
संदीप कुमार		इन्दू त्रिपाठी
जमाल किदवई		नसीम ईनाम
पी. एस. बातब	अनीता कुरोठे	व्ही. के. शर्मा

समय-समय पर योजना दल से संबद्ध

व्ही. व्ही. प्रधान		उप संचालक

कर्मचारीगण

जे. जी. आशापुरे		के. एम. चौरसिया
एस. एल. पचलानिया	विभावरी भूरे	सुलभा जोशी

विषय सूची

		पृष्ठ क्र.
	प्रस्तावना	**i**
	योजना दल	**iii**
	विषय सूची	**v**
	सारणी सूची	**vii**
	मानचित्रों की सूची	**ix**
	भाग एक - समस्याओं का विश्लेषण	
अध्याय - 1	**साँची एवं उसका परिवेश**	**1-7**
1.1	स्थिति एवं आवागमन की सुविधाएँ	1
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
1.3	निवेश क्षेत्र	1
1.4	क्षेत्रीय महत्व	2
1.5	साँची के निकट का परिवेश	4
1.6	जनसंख्या अवस्थिति	5
अध्याय - 2	**पर्यटक पार्श्व भूमि**	**9-14**
2.1	पर्यटन	9
2.2	पर्यटकों का आगमन	10
2.3	धार्मिक एवं सांस्कृतिक	11
2.4	साँची पर्यटक परिदृश्य	11
2.5	दर्शनीय स्थल	12
2.6	पर्यटकों हेतु उपलब्ध सुविधायें	13
अध्याय - 3	**भौतिक विकास एवं वर्तमान भूमि उपयोग**	**15-21**
3.1	भौतिक विकास	15
3.2	भूमि संसाधन एवं भूमि उपयोग विश्लेषण	15
3.3	आवास	20
3.4	आवासीय घनत्व	21
3.5	असंगत भूमि उपयोग	21
3.6	वर्तमान परिभ्रमण संरचना	21
3.7	निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों का आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन	21
	भाग दो - नियोजन प्रस्ताव	
अध्याय - 4	**नगर की भावी आवश्यकतायें तथा मुख्य कार्यकलाप**	**25-30**
4.1	मुख्य कार्यकलाप	25
4.2	योजना काल	25

4.3	अनुमानित पर्यटक	25
4.4	अनुमानित कार्यरत जनसंख्या	26
4.5	अनुमानित जनसंख्या	27
4.6	पर्यटकों संबंधी आवश्यकतायें	28
4.7	आवासगृहों की आवश्यकता	28
4.8	औद्योगिक	29
4.9	यातायात एवं परिवहन	29
अध्याय - 5	**नियोजन प्रस्ताव**	**31-49**
5.1	विषय वस्तु	31
5.2	योजना अवधारणा	32
5.3	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन	33
5.4	असंगत भू उपयोगों की पुर्नस्थापना	38
5.5	परिवहन व्यवस्था	38
5.6	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	38
5.7	पर्यटन विकास हेतु क्षेत्रीय अधोसंरचना	39
5.8	भू-दृश्यीकरण एवं पर्यावरण	39
5.9	मुख्य दबाव क्षेत्र	41
अध्याय - 6	**विकास नियमन**	**45-78**
6.1	प्रवृत्तशीलता	45
6.2	क्षेत्राधिकार	45
6.3	परिभाषायें	46
6.4	उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग परिसर का गठन	49
6.5	उपयोग परिक्षेत्र नियमन	50
6.6	उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग/उपयोग गतिविधियाँ	67
6.7	परिसरों की परिभाषायें	71
6.8	विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया	77
अध्याय - 7	**योजना क्रियान्वयन**	**79-86**
7.1	योजना क्रियान्वयन नीति	79
7.2	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	79
7.3	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा-सुविधा योजना	80
7.4	योजना एवं कार्यक्रम	82
7.5	सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व	82
7.6	योजना क्रियान्वयन की लागत	83
7.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	86
7.8	योजना की व्याख्या	86
	परिशिष्ट	**87-100**

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण	पृ. क्रमांक
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	2
1-सा-2	जनसंख्या परिवर्तन	5
1-सा-3	व्यवसायिक संरचना	6
2-सा-1	पर्यटक आगमन	10
2-सा-2	दर्शनीय स्थल	12
2-सा-3	पर्यटकों के ठहरने हेतु वर्तमान स्थल	13
3-सा-1	भूमि संसाधन	15
3-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग एवं भू-उपयोग दर	16
3-सा-3	वर्तमान सेवा सुविधाएँ	19
3-सा-4	अधिवासी दर	20
4-सा-1	अनुमानित व्यवसायिक संरचना	26
4-सा-2	अनुमानित जनसंख्या	27
4-सा-3	अनुमानित परिवार एवं आवासों की आवश्यकता	29
5-सा-1	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन	34
5-सा-2	प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थाएँ	36
5-सा-3	आमोद-प्रमोद क्षेत्र	37
5-सा-4	भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास	38
5-सा-5	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	39
6-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र/उपयोग श्रेणी	49
6-सा-2	आवासीय परिक्षेत्र विकास के मापदंड	50
6-सा-3	आवासीय परिक्षेत्र अभिन्यास मापदंड	52
6-सा-4	पुरानी आबादी क्षेत्र के विकास मानक	52
6-सा-5	नगरीय आवासीय परिक्षेत्र में उपयोग परिसरों की अनुमति	53
6-सा-6	वाणिज्यिक उप परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु मानक	54
6-सा-7	सी-1 वाणिज्यिक परिक्षेत्र में विकास मापदंड	54
6-सा-8	सी-1 उपयोग परिक्षेत्र में उपयोग परिसरों की अनुमति	55
6-सा-9	सी-2 सामान्य वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र में परिसरों की अनुमति	56

6-सा-10	कुटीर उद्योग परिक्षेत्र के विकास मापदंड	56
6-सा-11	आई-औद्योगिक परिसरों के विकास हेतु मापदंड	57
6-सा-12	आई-कुटीर उद्योग परिक्षेत्र में उपयोग परिसर की अनुमति	57
6-सा-13	प्रशासकीय उपयोग परिक्षेत्र में विकास हेतु मापदंड	58
6-सा-14	पी.एस. 1 प्रशासकीय उपयोग परिक्षेत्र में उपयोग परिसर की अनुमति	59
6-सा-15	शैक्षणिक अनुसंधान एवं संस्थागत उपयोग परिक्षेत्र के विकास मापदंड	59
6-सा-16	पी.एस. 2 शैक्षणिक अनुसंधान संस्थागत उपयोग परिक्षेत्र में उपयोग परिसरों की अनुमति	60
6-सा-17	स्वास्थ्य उपयोग परिक्षेत्र के विकास मापदंड	61
6-सा-18	पी.एस. 3 स्वास्थ्य उपयोग परिक्षेत्र में उपयोग परिसरों की अनुमति	61
6-सा-19	पर्यटन प्रोत्साहन परिक्षेत्र के विकास हेतु मापदंड	62
6-सा-20	आर-3 पर्यटन प्रोत्साहन उपयोग परिक्षेत्र में उपयोग परिसरों की अनुमति	63
7-सा-1	विकास योजना क्रियान्वयन लागत	83
7-सा-2	प्रथम चरण के घटक	84
7-सा-3	प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत	84

मानचित्रों की सूची

मानचित्र क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	निवेश क्षेत्र	2 (अ)
1.2	क्षेत्रीय विन्यास	2 (ब)
1.3	साँची एवं उपान्त प्रदेश	4 (अ)
1.4	बसाहट एवं स्थलाकृति	4 (ब)
1.5	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	4 (स)
3.1	वर्तमान भूमि उपयोग	16 (अ)
3.2	वर्तमान सेवा सुविधाएँ	18 (अ)
5.1	योजना अवधारणा	22 (अ)
5.2	विकास योजना	34 (अ)
5.3	प्रस्तावित यातायात संरचना	38 (अ)
6.1	उपयोग परिक्षेत्र	50 (अ)
7.1	प्रथम चरण कार्यक्रम	84 (अ)

भाग - एक
समस्याओं का विश्लेषण

अध्याय-एक

साँची एवं उसका परिवेश

.. काली भूरी चट्टानों, गहरी हरी झाड़ियों एवं उपशामक हरे खेतों के बीच साँची का शाश्वत स्मारक अहिंसा एवं शांति का मौन संदेश देते हुये प्रस्तर खण्डों से निर्मित वास्तुकला के अनुपम उदाहरण के रूप में सांची पहाड़ी पर स्थित है। नगरीय भीड़भाड़ एवं शोरगुल से मुक्त स्थान पर साँची का भव्य स्मारक स्थित होने से यह मानव के स्वयं के भीतर अंर्तदृष्टि प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और दर्शन की झलक प्रदान करता है। साँची में 13 शताब्दियों तक का बौद्ध धर्म के उत्थान, पतन, शासन एवं प्रभाव का इतिहास निहित है। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख धार्मिक केन्द्र होने तथा विश्व के सांस्कृतिक धरोहर मानचित्र में सम्मिलित किये जाने के कारण विश्व स्तर का एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र बन गया है, जहाँ देश विदेश से हजारों धर्मावलंबी एवं पर्यटक आते रहते हैं।

1.1 स्थिति एवं आवागमन की सुविधाएँ

सांची, भोपाल राजस्व संभाग के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से रायसेन जिला मुख्यालय 22 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। विदिशा नामक अन्य जिला मुख्यालय केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर-पूर्व में स्थित है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह स्थान 23°28' उत्तरीय अक्षांश तथा 77°78' पूर्वी देशान्तर रेखा पर स्थित होकर, इसकी समुद्र सतह से ऊँचाई लगभग 410 मीटर है।

इस स्थान का प्रदेश के विभिन्न नगरों से सम्पर्क, सड़क मार्गों से बड़े सुगम रूप से बना हुआ है। राज्य की राजधानी भोपाल का सम्पर्क साँची नगर से दो सड़क मार्गों से है। इनमें से एक मार्ग 70 कि.मी. लंबा है जो रायसेन होते हुये है, जबकि दूसरा मार्ग दीवानगंज-सलामतपुर होते हुये केवल 45 कि.मी. लंबा है। साँची, दिल्ली-इटारसी मध्य रेलवे लाईन पर स्थित होते हुये भी यहाँ केवल कुछ ही रेलगाड़ियाँ रुकती हैं, इस कारण यात्रियों द्वारा समीप स्थित विदिशा स्टेशन का प्रयोग साँची पहुँचने हेतु किया जाता है। यहाँ पृथक से विमान सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन समीप स्थित राजधानी भोपाल में विमान सेवा उपलब्ध होने से यात्रियों द्वारा इसका लाभ लिया जाता है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यहां स्मारकों का दृश्य समीपस्थ पहाड़ियों से बड़ा मनोहारी दिखाई देता है। ये स्मारक केवल इसलिये ही अद्वितीय नहीं है कि ये बहुत ही परिपूर्ण एवं परिरक्षित स्तूप हैं, अपितु इसलिये भी अद्वितीय हैं क्योंकि इन स्तूपों से लगभग 13 शताब्दियों तक के (ईस्वी सदी 300 पूर्व से इस्वी सदी 1100 तक) बुद्धकालीन कला, वास्तुकला की उत्पत्ति, प्रस्फुटन एवं विनाश के परिदृश्य का आभास होता है। इस महान धार्मिक स्मारक की स्थापना संभवत: मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा की गयी थी एवं साँची में एक स्तूप तथा एक अखंड स्तम्भ का निर्माण किया गया।

बुद्ध प्रतिष्ठान साँची में कब और कैसे समाप्त हुये यह ज्ञात नहीं है। बुद्धों द्वारा इस स्थान का त्याग किया गया, या धीरे-धीरे उनकी वैयक्तिक प्रतिष्ठा समाप्त होकर ब्राम्हणवाद के आगे समर्पित हो गयी, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक जब इस प्रतिष्ठान की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, तब तक इस प्रतिष्ठान के बारे में लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके पश्चात बहुत खोजबीन के बाद आज की 'साँची' का स्वरूप सामने आया है।

1.3 निवेश क्षेत्र

साँची निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 6 ग्रामों का समावेश है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा

13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 1988/33/75 दिनांक 24.7.1975 द्वारा साँची निवेश क्षेत्र का गठन किया गया। तदोपरान्त राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 111/5158/32/दिनांक 3.1.1979 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत उक्त 'निवेश क्षेत्र' को 'विशेष क्षेत्र' के रूप अभिहित किया गया तथा अधिसूचना क्र. 105/5758/32 दिनांक 3.01.1979 द्वारा साँची विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का गठन किया था जिसे अधिसूचना क्र. एफ 23-44-96/32-1/ दिनांक 30.07.1996 द्वारा विघटित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 24.07.1975 द्वारा गठित साँची निवेश क्षेत्र की सीमायें परिशिष्ट-I में दी गयी है।

साँची निवेश क्षेत्र के अंतर्गत कुल लगभग 17.71 वर्ग कि.मी. (1771.1 हेक्टर) क्षेत्र का समावेश है तथा इस क्षेत्र की जनसंख्या सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 4819 है। सारणी 1-सा-1 में ग्रामवार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की जानकारी दर्शायी गयी है।

साँची : निवेश क्षेत्र

1-सा-1

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जनसंख्या 1991
1.	2.	3.	4.
1.	साँची	462.6	2275
2.	कानाखेड़ा कलाँ	410.5	1552
3.	दरगवां	185.0	निर्जन
4.	मांची	199.2	353
5.	कॉची कानाखेड़ा	369.1	565
6.	नागोरी	144.7	74
	योग (निवेश क्षेत्र)	**1771.1**	**4819**

स्रोत: भारत की जनगणना।

1.31 नगर पंचायत

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65(1) के अंतर्गत साँची विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के गठन उपरान्त, शासन ने उक्त अधिनियम की धारा 68 एवं 69 के प्रावधान्तर्गत म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों अनुसार नगर पालिका की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों के पालन का दायित्व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी साँची को सौंपा। शासन की अधिसूचना दिनांक 30.07.1996 द्वारा उक्त प्राधिकारी को विघटित करते हुये समस्त दायित्व एवं आस्तियाँ नगर पंचायत साँची को प्रदत्त की गई है। वर्तमान नगर पंचायत साँची का क्षेत्राधिकार, निवेश क्षेत्र सीमा में है।

1.4 क्षेत्रीय महत्व

क्षेत्र में स्थित आवासीय परिवेश की आपसी निर्भरता एवं प्रतिक्रिया का क्षेत्र के एकरुपेण विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने के कारण साँची ग्राम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अंतर्गत क्रमांक 62-

सांची

1.1 निवेश क्षेत्र

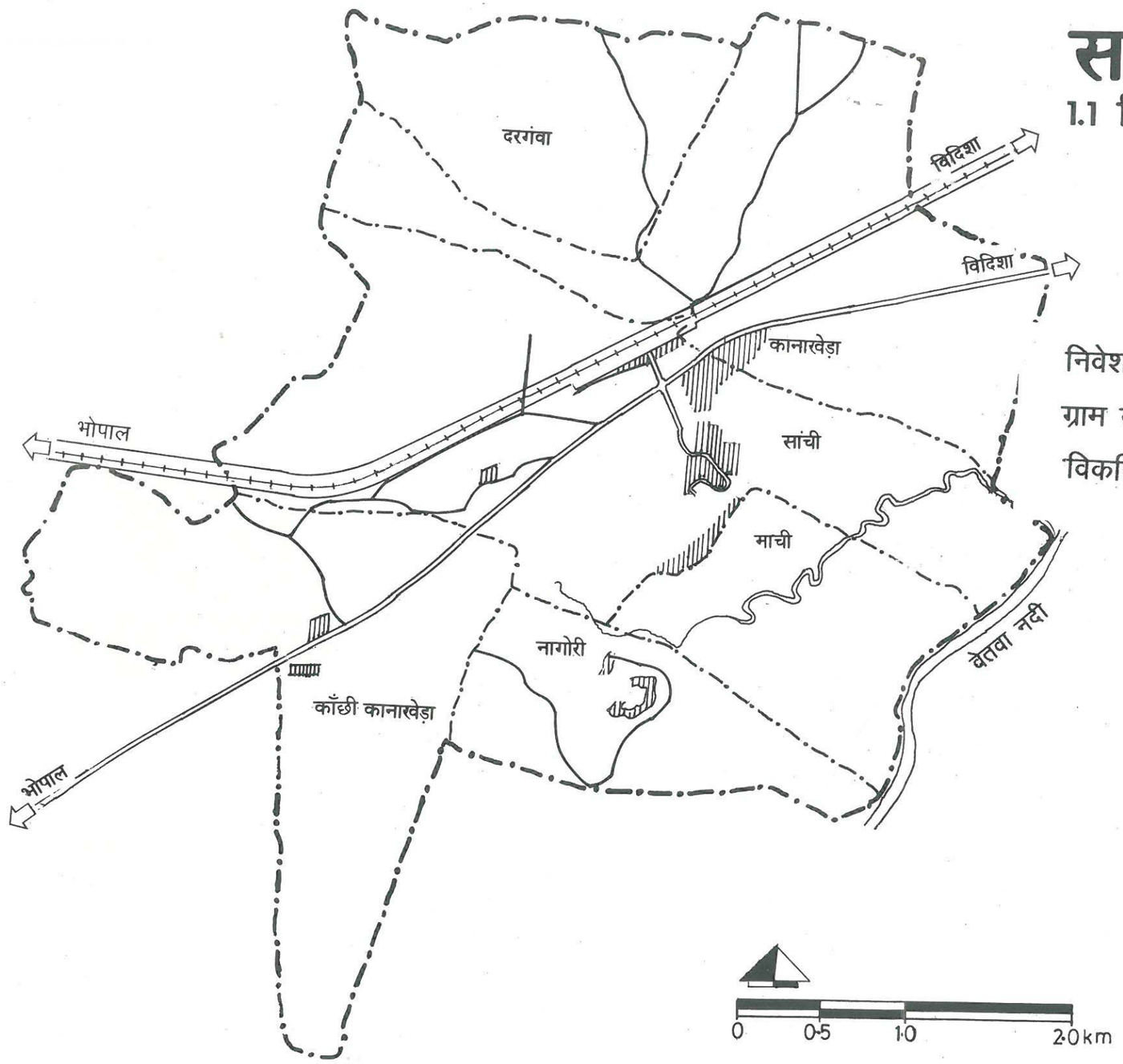

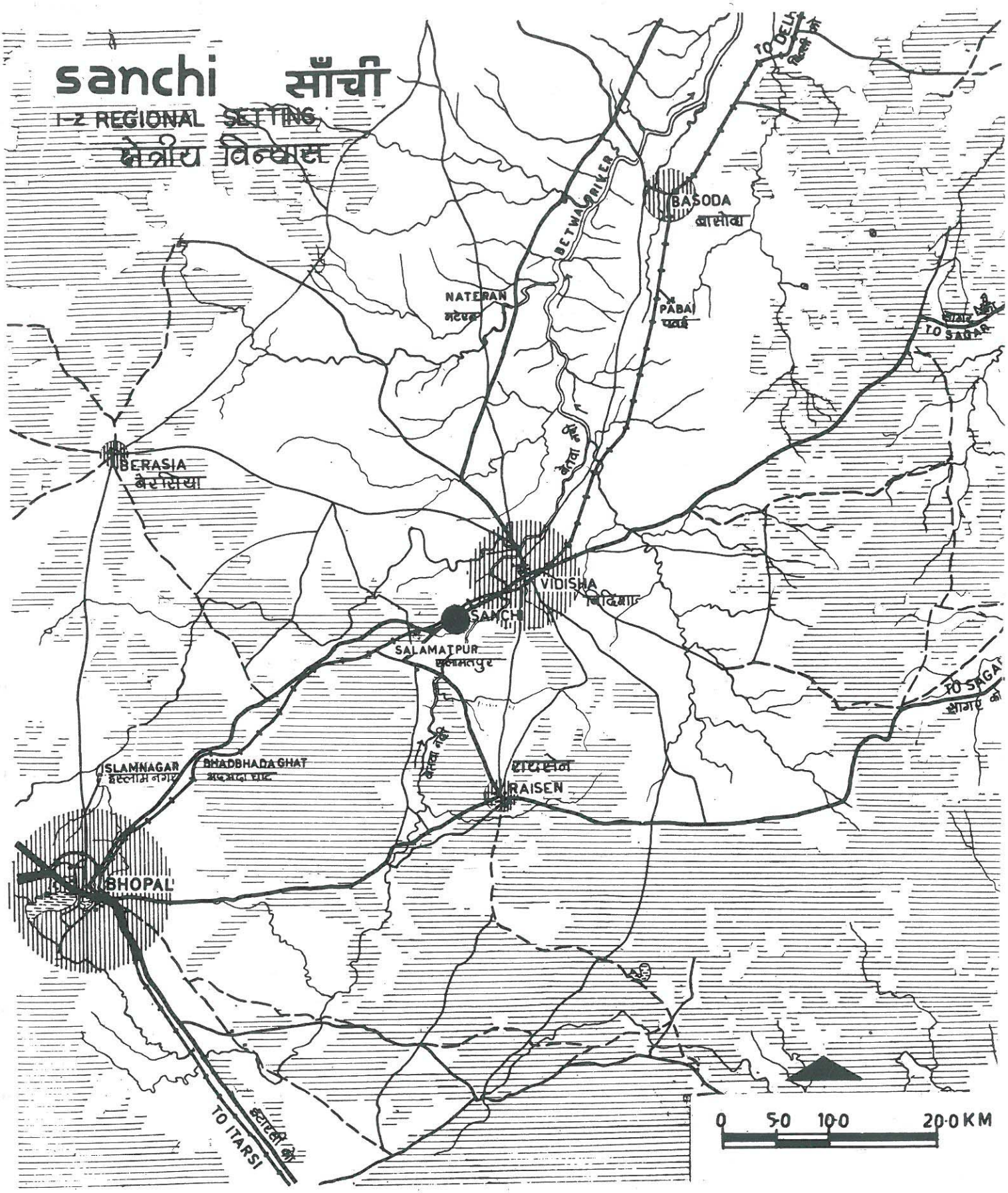
sanchi साँची
1-2 REGIONAL SETTING
क्षेत्रीय विन्यास
BASODA
बासोदा
BETWA RIVER
NATERAN
नटेरन
PABAI
पबाई
TO SAGAR
BERASIA
बेरसिया
VIDISHA
विदिशा
SANCHI
SALAMATPUR
सलामतपुर
ISLAMNAGAR
इस्लाम नगर
BHADBHADA GHAT
भदभदा घाट
RAISEN
रायसेन
BHOPAL
TO ITARSI
इटारसी को
0 5·0 10·0 20·0 KM